

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक- 53 /11-सी-FP/UP/Others/144077/2021 लखनऊ, दिनांक: जुलाई 08, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- जनपद रामपुर की तहसील मिलक के ग्राम रौरा कलां व मेंहदीनगर की खसरा/गाटा संख्या-222 व 154 रामपुर-बरेली मार्ग पुराना एन०एच०-24 एवं न्यु एन०एच०-530 किमी० चैनेज 206.180 की दायी पटरी पर भौ० भारत पेट्रोलियम कार्पो० लि०, बरेली द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट(पेट्रोल/डीजल मार्ग) के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.1917 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव सं० FP/UP/Others/144077/2021)

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक-8बी०/यू०पी०/०6/297/2021/एफ०सी०/784, दिनांक-30.03.2022
महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद ने अपने पत्रांक-18/14-1 दिनांक 02.07.2024 द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड किया गया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड-हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि अपलोड है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

(प्रमोद कुमार गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 53 /11-सी FP/UP/Others/144077/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, रामपुर।
- 3- प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि०, बरेली टेरिटरी।

(प्रमोद कुमार गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 53 /11-सी सी FP/UP/Others/144077/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, लखनऊ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्रमोद कुमार गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।
पत्रांक - 18 / 14-1 दिनांक, मुरादाबाद, 02-07-2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय:-

जनपद रामपुर की तहसील गिलक के ग्राम सौरा कलां व गेंहदीनगर की खरारा/गाटा संख्या-222 व 154 रामपुर-वरेली मार्ग पुराना एन.एच०-24 एवं न्यु एन.एच०-530 किमी० चैनेज 208.180 की दायी पटरी पर मै० भारत पेट्रोलियम कार्पो० लि०, वरेली द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल पम्प) के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.1917 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। File No. FP/UP/OTHERS/144077/2021

सन्दर्भ:-

भारत सरकार की पत्र संख्या-8B/UP/06/297/2021 /FC/784 दिनांक 30.03.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रकरण में निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या/अभिलेख प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, रामपुर ने अपने पत्र संख्या-06/14-1 दिनांक 01.07.2024 द्वारा ऑनलाईन प्रेषित किया गया है।

अतः प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, रामपुर द्वारा ऑनलाईन प्रेषित की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या/अभिलेख सहित ऑनलाईन इस आशय से प्रेषित है कि कृपया विषयक प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

संख्या 18 / 14-1 उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि:- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, रामपुर को उनके पत्र दिनांक 01.07.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।